क्रमांक 6/4/90-2 जी0 एस0-I/

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल ।

2. सभी उपायुक्त, तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य ।

3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़, 2-6-93

विषय :—सभी श्रेणी III के तदर्थ कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान आकर्षत कराते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुछ समय से श्रेणी-III के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था और अब तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय ले लिया गया है । इस सम्बन्ध में जारी की गई सरकारी अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि0 31/संवि0/अनु0/309/93, दिनांक 1 जून, 1993 आपको आवश्यक कार्यवाही तू भेजी जाती है ।

2. तदर्थ कर्मचारियो को नियमित करने से विभागों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या मे परिवर्तन आएगा जिसका प्रभाव अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा को विज्ञापित कराने के लिए भेजी गई रिक्तियों पर पड़ेगा । अतः जहां यदि रिक्तियां विज्ञापित नहीं की गई हो तो मांग पत्र अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा से वापिस ले लिया जाए और रिक्तियों की ताजा गणना कर के नया मांग पत्र अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा को भेजा जाए । नियमित किए गए किए जाने वाले तदर्थ कर्मचारियों की संख्या की सूचना सरकार को 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य भेजी जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-
सयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि0 31/संवि0/अनु0-309/93, दिनांक 1 जून, 1993 की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

(i) सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

(ii) सचिव, अधीनस्थ सेवायें प्रवरण मण्डल, हरियाणा सरकार मनीमाजरा (यू0 टी0) । उनसे अनुरोध है कि यदि ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिए जा रहे हों तो उन्हें विभागों से ताजा मांग आने तक रोक लिया जाए ।

हस्ता/-
सयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

2. सचिव, अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा, एस0 सी0 ओ0 नं0 803, मनीमाजरा (यू0 टी0) ।